

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

- ✓ 1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम,
 2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों/बोर्डों/निगमों में कार्यरत लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी ।
- क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 / 5001-02
दिनांक: 20/7/16
विषय:- शोधन पत्र जारी करने बारे निर्देश ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 18/15/2016-4वि0ले0, दिनांक 30.06.2016 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के प0 क्रमांक 4/2/2002-1चौ0, दिनांक 18.09.2015 (प्रतियां सलग्न हैं) के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा ने आपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व शोधन पत्र जारी करवाने के लिए प्रोफार्मा जारी किया है । अतः इसी अनुसार सूचना भेजने के लिखा है । अतः प्रोफार्मा की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि आपके कार्यालय में कार्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति से लगभग एक वर्ष पूर्व सूचना इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें । ताकि मामले में समय पर कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

दिनांक:

पृ. क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 /

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा ।
2. 18टी खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

6171
27/16

प्रेषक:

SD(S/KS)

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 18/15/2016-4वि.ले.
दिनांक 30.06.2016

विषय:-

श्री जयपाल मनचन्दा, लेखाधिकारी के पक्ष में चौकसी विभाग हरियाणा से शोधन पत्र जारी करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक-14960-टी0ए0(1टी)2016/4376, दिनांक 21.06.2016 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4/2/2002-चौ0-1, दिनांक 18.09.2015 की प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि श्री जयपाल मनचन्दा, लेखाधिकारी के पक्ष में शोधन पत्र जारी करवाने बारे, चौकसी विभाग के उक्त पत्र अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें, अधिकारी दिनांक 30.09.2016 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा है।

अधीक्षक, वित्त लेखा,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग

